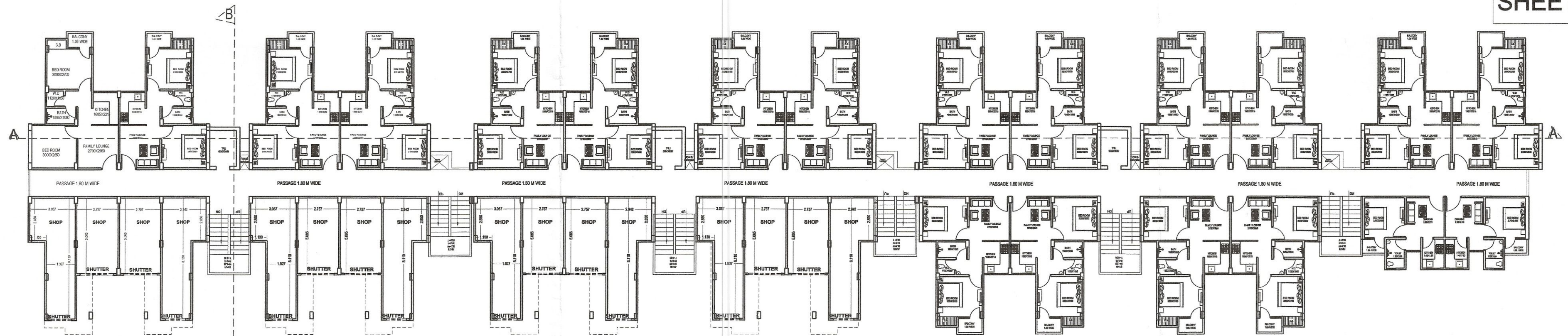
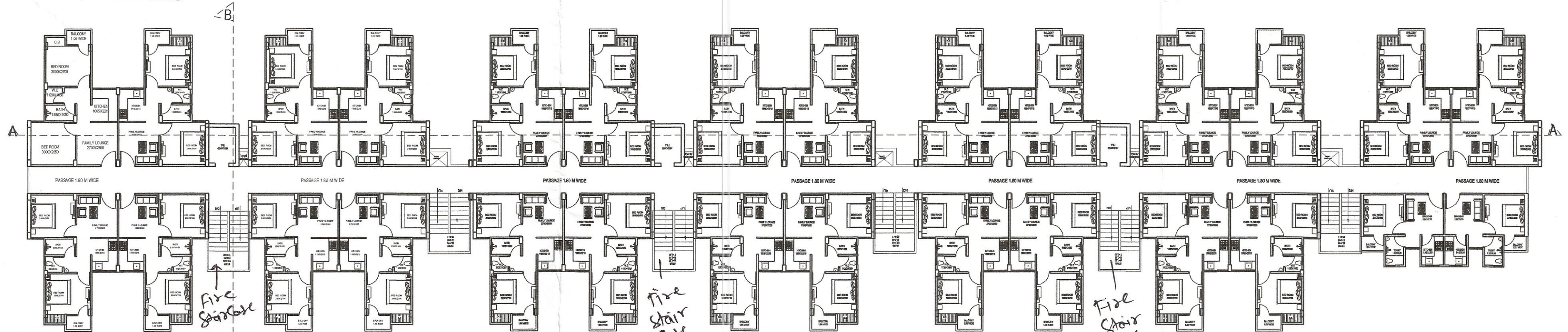




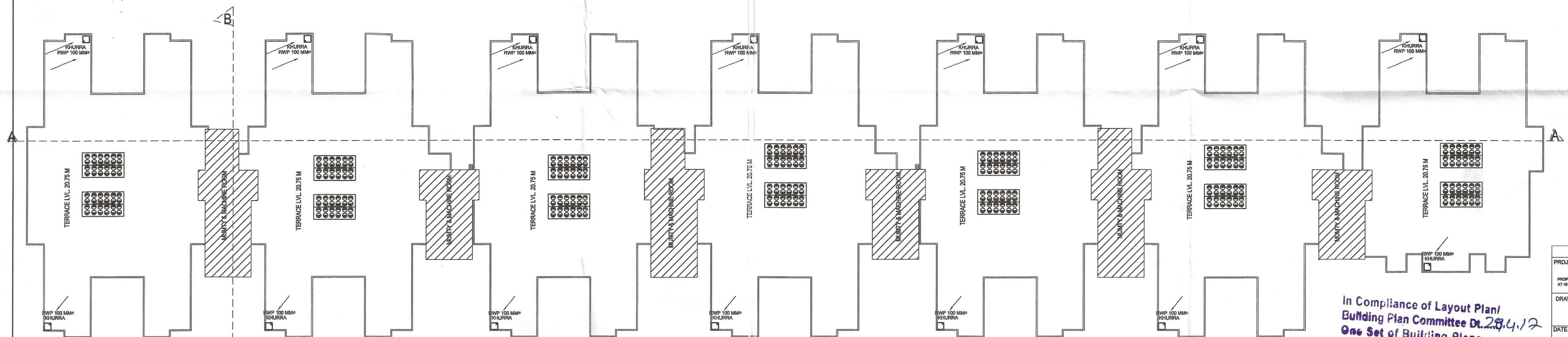
BLOCK L-03 (GROUND FLOOR PLAN)

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015



BLOCK L-03 (FRIST TO 6th FLOOR PLAN)

अनुमोदित



BLOCK - L 03
TERRACE PLAN

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per M.C. Norms.

Parking Area Will Be UT's Property

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का विधानानुसार प्रावधान किया जावे।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 28.4.17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 3168-69/17
Dt. 17.05.17

सहायक नगर विकास अधिकारी
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर निकोजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)

SHEET NO:- 05	
PROJECT:- PROPOSED BUILDING PLAN OF CH AN AWAS GROUP HOUSING PROJECT AT MIWAADI NO. 15, MIWAADI, DIST. THAKURPURI (RAJ.)	
DRAWING TITLE BLOCK - L 03 FLOOR PLAN	
DATE 13-04-2017	SCALE 1:200
NORTH N	
ARCHITECT CREATIVE STUDIO ARCHITECT INTERIOR LANDSCAPE DESIGNER AR. MANISH KUMAR B-41, BEHIND U.T. OFFICE, BHAGAT SINGH COLONY, BANGLORE (INDIA) MO: 9866070015 E-MAIL: info@creativestudio.in creativestudio.in	
ARCHITECT'S SIGNATURE C.O.A CA/101/49305	OWNERS SIGNATURE

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.16 के दिशा निर्देशों के अनुसार बर्जास संयोजन का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्वया न० 10 न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्वया न० 10 न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं जल, मल, निकास आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के सुनिश्चित किया जावेगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

ये सगळो-हरिबाणी कडे

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी मानक ब्रह्मणगत भूमि/भूखण्ड के चर्चा/प्रमाण का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगी।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की प्रकृति में राज्य सरकार के बरिष्ठ दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "परिवर्तन प्रमाण पत्र" अन्वयित प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

जरी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में काले रंग का निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का चर्चा/प्रमाण पत्र ही होगा।

OF JAN AWAS PROJECT
PART